



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

आरबीआई/2024-25/73

केंका.विसविवि.पीसीडी.बीसी.सं. 9/04-04-003/2024-25

02 सितंबर 2024

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

महोदया/ महोदय,

मौजूदा अनुदेशों की समीक्षा – परिपत्रों को वापस लेना

पुराने/अनावश्यक/अप्रयुक्त अनुदेशों की पहचान करने और उन्हें वापस लेने के लिए एक आंतरिक समीक्षा की गई। इसके आधार पर, [अनुबंध](#) में सूचीबद्ध परिपत्रों के विषयों पर जारी किए गए बाद के अद्यतन अनुदेशों के मद्देनजर उक्त परिपत्रों को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है।

भवदीया,

(निशा नम्बियार)

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, 10 वीं मंजिल, केन्द्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगतसिंह मार्ग, पोस्ट बॉक्स सं. 10014, मुंबई -400001

Financial Inclusion & Development Dept, Central Office, 10th Floor, Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Marg, P.B.No.10014, Mumbai-1

टेली Tel:022-22601000 फ़ैक्स: 91-22-22621011/22610943/22610948 ई -मेल : cgmincfidd@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए।

“चेतावनी: रिज़र्व बैंक द्वारा मेल, डाक, एसएमएस या फोन कॉल के जरिए किसी की भी व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक के खाते का ब्यौरा, पासवर्ड आदि नहीं मांगी जाती है। यह धन रखने या देने का प्रस्ताव भी नहीं करता है। ऐसे प्रस्तावों का किसी भी तरीके से जवाब मत दीजिए।”

Caution: RBI never sends mails, SMSs or makes calls asking for personal information like bank account details, passwords, etc. It never keeps or offers funds to anyone. Please do not respond in any manner to such offers.



वापस लिए गए परिपत्रों की सूची

क्र. सं.	परिपत्र सं.	तारीख	विषय	वापसी का औचित्य
1.	आरपीसीडी.सं.एसपी.बीसी.14/पीएस.160-87/88	31 जुलाई 1987	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं	इन परिपत्रों में निर्धारित रिपोर्टिंग प्रारूप को संशोधित किया गया है तथा आवधिकता में भी परिवर्तन किया गया है। अद्यतन अनुदेश दिनांक 01 अप्रैल 2023 के अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं पर मास्टर परिपत्र में दर्शाए गए हैं।
2.	आरपीसीडी.सं.एसपी.बीसी.45/पीएस.160-87/88	16 अक्टूबर 1987	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं	
3.	आरपीसीडी.सं.एसपी.बीसी.46/PS.160/88-89	17 नवंबर 1988	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं	
4.	आरपीसीडी.केंका.एफआईडी.बीसी.सं. 2433/12.01.012/2010-11	26 अगस्त 2010	सरकार की विभिन्न छात्रवृत्तियों का लाभ उठाने के लिए छात्रों द्वारा नो-फ्रिल खाते खोलना	"नो फ्रिल्स अकाउंट" शीर्षक का उपयोग समाप्त कर दिया गया है, तथा सभी ग्राहकों के लिए सामान्य बैंकिंग सेवा के रूप में बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट (बीएसबीडीए) का प्रावधान प्रचलन में है।



क्र. सं.	परिपत्र सं.	तारीख	विषय	वापसी का औचित्य
5.	आरपीसीडी.एफ़आईडी.बीसी.सं. 53/12.01.001/2010-11	14 फरवरी 2011	सूक्ष्म ऋण पर मास्टर परिपत्र	परिपत्र में निहित दिशा-निर्देशों को दिनांक 1 अप्रैल 2024 के स्वयं सहायता समूह – बैंक सहलग्नता कार्यक्रम पर मास्टर परिपत्र, मास्टर परिपत्र - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - गैर-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 और मास्टर निदेश – प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) – लक्ष्य और वर्गीकरण में सम्मिलित कर लिया गया है।